प्रकाशन हेतु अनुदेशित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर

न्यायपीठ : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक/ 125 / 2009

पुन्नी बाई कनोजे, पति खम्हन सिंह कनोजे, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी- ग्राम डमरू, पुलिस थाना बलौदा बाजार, (निवासी निर्णय में उल्लेख किया गया) ग्राम लाटुवा, तहसील बलौदा बाजार, जिला रायपुर (छ.ग.) ..... अपीलार्थी

बनाम

छ.ग. राज्य द्वारा (प्रभारी अधिकारी, थाना बलौदा बाजार, जिला रायपुर) कलेक्टर रायपुर (छ.ग.) ..... प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील क्रमांक/ 144 / 2009

हेमंत कुमार कनोजे उर्फ़ बल्लू पिता ध्रुव कुमार, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम लाटुवा, पुलिस थाना बलौदा बाजार, तहसील बलौदा बाजार, जिला रायपुर (छ.ग.) ..... अपीलार्थी

बनाम

छ.ग. राज्य द्वारा (प्रभारी अधिकारी, थाना बलौदा बाजार, जिला रायपुर) कलेक्टर रायपुर (छ.ग.) ..... प्रत्यर्थी

और

दांडिक अपील क्रमांक/ 172 / 2009

खम्हन सिंह कनोजे, पिता छेदू राम कनोजे, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी ग्राम लाटुवा, पुलिस थाना बलौदा बाजार, तहसील बलौदा बाजार, जिला रायपुर (छ.ग.) ..... अपीलार्थी

बनाम

छ.ग. राज्य द्वारा (प्रभारी अधिकारी, थाना बलौदा बाजार, जिला रायपुर) कलेक्टर रायपुर (छ.ग.) ..... प्रत्यर्थी

(द. प्र. स. 1973 की धारा 374(2) के तहत अपील)

अपीलार्थियों की ओर से : श्री रणबीर सिंह मरहास और
श्री जे आर वर्मा, अधिवक्तागण

राज्य की ओर से : श्री किशोर भादुरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

निर्णय

(23-03-2012)

न्यायलय का निम्नलिखित निर्णय, **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश,** द्वारा उद्घोषित किया गया

1. यह अपील दिनांक 31.01.2009 को सत्र प्रकरण क्रमांक 5/2008 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाज़ार, जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आक्षेपित निर्णय के द्वारा अपीलार्थियों को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा उन्हें आजीवन कारावास और ₹500/- के अर्थदंड से दंडित किया गया है, अर्थदंड के व्यतिक्रम में 2 माह का कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं:—

मृतका संगीता, आयु लगभग 25 वर्ष, एक परित्यक्ता महिला थी। वह अपने पिता श्रीराम वर्मा (अ.सा.-1) के साथ ग्राम लटुवा में निवास करती थी। दिनांक 23.10.2007 को ग्रामीणों द्वारा मृतका का शव आरोपी खम्हन सिंह के बयारा (बाड़ी) में देखा गया, जो अत्यधिक जली हुई अवस्था में था। बाबूलाल (अ.सा.-12), जो ग्राम कोटवार है, ने मर्ग सूचना (प्रदर्श पी.-19) दर्ज कराई। अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी.-1) दी तथा मृतका के शव का पंचनामा (प्रदर्श पी.-2) तैयार किया। मृतका की पहचान श्रीराम वर्मा (अ.सा.-1) द्वारा की गई। शव को शव परिक्षण हेतु शासकीय अस्पताल, बलौदा बाज़ार, आवेदन पत्र प्रदर्श पी.-20-अ के माध्यम से भेजा गया। शव परिक्षण डॉ. प्रमोद कुमार तिवारी (अ.सा.-13) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-20) तैयार की। उन्होंने पाया कि मृतका का शव व्यापक रूप से जली हुई अवस्था में था; जलन त्वचा की गहराई तक थी; बाल पूर्णतः जल चुके थे; जीभ

बाहर निकली हुई थी; केवल पैरों के तलवे जले नहीं थे; तथा शव से मिट्टी तेल की गंध आ रही थी। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने यह अभिमत व्यक्त किया कि मृतका की मृत्यु श्वासावरोध के कारण हुई, जो 100% आंशिक से पूर्ण मोटाई तक के जलने के फलस्वरूप हुई थी, तथा मृत्यु की अवधि 6 से 12 घंटे के भीतर की थी। तथापि, उन्होंने यह अभिमत देने में असमर्थता व्यक्त की, कि मृत्यु मानव वध थी अथवा आत्महत्या जनित। यकृत, प्लीहा, वृक्क, फेफड़े एवं आमाशय के नमूने रासायनिक परीक्षण हेतु सुरक्षित रखे गए, किन्तु उससे संबंधित कोई रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

आगे की विवेचना में, अपीलार्थियों को अभिरक्षा में लिया गया तथा उनके मेमोरेंडम कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत कथन अभिलेखित किए गए। आरोपी खम्हन का मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी.-7) दिनांक 26.10.2007 को अभिलेखित किया गया, और उसके कथन के आधार पर लगभग 2½ लीटर मिट्टी तेल (केरोसिन) से भरा एक प्लास्टिक जरीकैन जप्त किया गया, जिसकी जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी.-8) तैयार की गई। एक मोबाइल सेट, फोन नंबर 99268-86190, भी आरोपी खम्हन सिंह के कब्जे से दिनांक 25.10.2007 को जप्त किया गया, जिसकी जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी.-15) तैयार की गई। एक अन्य मोबाइल सेट, फोन नंबर 99778-74188, श्रीराम (अ.सा.-1) के कब्जे से जप्त किया गया, जिसकी जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी.-6) है। इसी प्रकार, एक अन्य मोबाइल सेट, फोन नंबर 99772-10203, आरोपी क्रमांक 3 हेमत कुमार के कब्जे से जप्त किया गया, जिसकी जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी.-16) है। इसके अतिरिक्त, एक और मोबाइल सेट, फोन नंबर 97542-14120, दुष्यंत यादव (अ.सा.-7) के कब्जे से जप्त किया गया, जिसकी जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी.-14) है। इन सभी मोबाइल सेटों के कॉल डिटेल्स भी (प्रदर्श पी.-23) के माध्यम से प्राप्त किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन का प्रकरण यह था कि खम्हन सिंह (अ-1) का मृतका के साथ अवैध संबंध था; घटना के पूर्व खम्हन सिंह मोबाइल के माध्यम से मृतका से बातचीत करता था; घटना से 3-4 दिन पूर्व मृतका एवं आरोपियों के बीच विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट थाना में दर्ज कराई गई थी; तथा इन सभी कारणों से मृतका को आरोपी खम्हन सिंह के बयारा (बाड़ी) में बुलाया गया और आरोपियों द्वारा उस पर मिट्टी तेल डालकर उसे जला दिया गया।

3. यह निर्विवाद है कि घटना का कोई चक्षुदर्शी नहीं था तथा अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। निम्नलिखित परिस्थितियाँ हैं, जिन पर माननीय सत्र न्यायाधीश ने भरोसा किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि संदेह से परे सिद्ध हो गया है कि अपीलार्थियों ने मृतका के शरीर पर मिट्टी तेल डालकर उसे आग के हवाले कर उसकी हत्या की:—

(i) खम्हन सिंह (अ-1) के मृतका के साथ अवैध संबंध थे।

(ii) घटना की तिथि से 4 दिन पूर्व आरोपियों एवं मृतका के बीच झगड़ा एवं मारपीट हुई थी तथा इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

(iii) खम्हन सिंह (अ-1) एवं हेमंत कुमार (अ-3) ने घटना की तिथि से पूर्व मोबाइल फोन के माध्यम से मृतका से बातचीत की थी।

(iv) मृतका का शव जली हुई अवस्था में खम्हन सिंह (अ-1) के बयारा (बाड़ी) में पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(v) खम्हन सिंह (अ-1) के बयारा (बाड़ी) में मृतका के शव के पास पर्याप्त मात्रा में मिट्टी तेल फैला हुआ पाया गया तथा बाड़ी में लगी भिंडी के पौधों की पत्तियाँ जली हुई पाई गईं।

(vi) यह सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि मृतका ने आत्महत्या की थी; तथा

(vii) घटना की रात आरोपियों की गाँव में उपस्थिति थी।

4. श्री रणबीर सिंह मरहास एवं श्री जे.आर. वर्मा, जो अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता हैं, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा बताई गई उपर्युक्त परिस्थितियाँ न तो निर्णायक प्रकृति की हैं और न ही उनकी प्रवृत्ति ऐसी है; वे व्याख्यायित किए जाने योग्य हैं; वास्तव में उक्त परिस्थितियाँ अपीलार्थियों के विरुद्ध पूर्णतः स्थापित नहीं हुई हैं; तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण नहीं है और यह स्थापित नहीं किया गया है कि मृतका की मृत्यु मानव वध के रूप में हुई थी। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि बयारा (बाड़ी) एक खुला स्थान था, जो सभी के लिए सुलभ था, अतः भले ही मृतका का शव खम्हन सिंह (अ-1) के बयारा (बाड़ी) में पाया गया हो, इससे अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई ठोस आरोप सिद्ध नहीं होता।

5. इसके विपरीत, श्री किशोर भादुरी, जो राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया तथा सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

6. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को विस्तृत रूप से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

7. यह विधि द्वारा सुस्थापित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, जिन परिस्थितियों से दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए, अर्थात संबंधित परिस्थितियाँ 'होनी ही चाहिए' और केवल 'हो सकती हैं' मात्र नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार स्थापित परिस्थितियाँ आरोपी के दोष की ओर संकेत करने वाली होनी चाहिए तथा वे किसी अन्य प्रकार से व्याख्यायित किए जाने योग्य नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य की ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए, जिससे आरोपी की निर्दोषता के अनुकूल कोई भी युक्तिसंगत संभावना शेष न रहे और यह प्रदर्शित हो कि सामान्य मानवीय संभावनाओं के अनुसार अपराध आरोपी द्वारा ही किया गया है। देखें "***धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1994) 2 SCC 220; बोधराज उर्फ बोधा एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य, AIR 2002 SC 3164; वीरेंद्र पोद्दार बनाम बिहार राज्य, (2011) 6 SCC 350***"।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. जहाँ तक खम्हन सिंह (अ-1) एवं मृतका के मध्य अवैध संबंध तथा पूर्व की मारपीट की घटना, अर्थात परिस्थितियाँ (i) एवं (ii), का संबंध है, श्रीराम वर्मा (अ.सा.-1- मृतका के पिता) ने यह कथन किया कि दिनांक 18.10.2007 को जब वे अपने कार्य से घर लौटे, तब मृतका संगीता ने उन्हें बताया कि पुन्नी बाई (अ-2) ने उससे इस आधार पर झगड़ा किया कि उसके उसके पति के साथ अवैध संबंध थे। मानकुमारी (अ.सा.-2), जो मृतका संगीता की चचेरी बहन है, ने कथन किया कि मृत्यु से पूर्व संगीता ने उसे बताया था कि पुन्नी बाई (अ-2) एवं उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की थी। उसने पुन्नी बाई (अ-2), मुकेश्वरी एवं गोलू के नाम बताए थे। उक्त झगड़े में मृतका संगीता को उसकी जांघ एवं होंठ पर चोटें आई थीं। राम कुमार वर्मा (अ.सा.-8), जो मृतका संगीता का चचेरा भाई है, ने भी कथन किया कि घटना की तिथि से 2 दिन पूर्व पुन्नी बाई (अ-2), मुकेश्वरी, ठिठेश्वरी, दिगेश्वरी एवं उनके परिवार के सदस्यों ने मृतका के साथ झगड़ा किया था। यद्यपि यह कहा गया कि उक्त झगड़ा एवं मारपीट के संबंध में संगीता द्वारा थाना में

रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, किन्तु अभियोजन द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट अभिलेख पर सिद्ध नहीं की गई। राम कुमार (अ.सा.-8) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने उक्त झगड़ा स्वयं नहीं देखा था तथा उसने केवल संदेह व्यक्त किया था कि उपर्युक्त व्यक्तियों ने पूर्व की घटना में मृतका के साथ मारपीट की होगी। मानकुमारी (अ.सा.-2) को भी उक्त पूर्व घटना का कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था तथा उसके अनुसार उसे यह सब बातें संगीता द्वारा बताई गई थीं। श्रीराम वर्मा (अ.सा.-1) भी उक्त घटना के चक्षुदर्शी नहीं थे, क्योंकि उनके अनुसार उन्हें भी दिनांक 18.10.2007 की पूर्व घटना के संबंध में संगीता द्वारा ही जानकारी दी गई थी।

9. उपर्युक्त साक्षियों के साक्ष्य के समुचित विवेचन पर हम यह पाते हैं कि उपर्युक्त दोनों परिस्थितियाँ, अर्थात (i) एवं (ii), उक्त साक्षियों के साक्ष्य द्वारा पूर्णतः स्थापित नहीं की गई हैं। ऐसा कोई भी विधिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि खम्हन सिंह (अ-1) एवं मृतका के मध्य अवैध संबंध थे। अभियोजन ने इस परिस्थिति को यह दर्शाने के लिए सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अपीलार्थियों के पास मृतका की हत्या करने का कोई 'हेतुक' था, जिसे हम सिद्ध पाया हुआ नहीं मानते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और इसमें हेतुक का विशेष महत्व होता है। कथित हेतुक को अन्य किसी भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य की भाँति सिद्ध किया जाना आवश्यक है, जिसे हम इस प्रकरण में सिद्ध पाया हुआ नहीं पाते हैं। अतः सत्र न्यायाधीश द्वारा यह निष्कर्ष कि आरोपी क्रमांक 1 (अ-1) एवं मृतका के मध्य अवैध संबंध तथा पूर्व में हुए झगड़े के कारण अपीलार्थियों ने मृतका की हत्या की, स्थिर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उक्त परिस्थितियाँ ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा स्थापित नहीं की गई हैं।

11. जहाँ तक परिस्थिति क्रमांक (iii) का संबंध है, जप्त किए गए मोबाइल सेटों के फोन नंबर 99268-86190, 97542-14120, 99772-10203 एवं 99778-74188 के कॉल विवरण को प्रदर्श पी.-23 के रूप में सिद्ध किया गया है। अभियोजन के अनुसार, फोन नंबर 99778-74188 वाला मोबाइल सेट मृतका के पिता के कब्जे से यह कहते हुए जप्त किया गया कि उक्त मोबाइल नंबर का उपयोग मृतका द्वारा किया जाता था। फोन नंबर 99268-86190 वाला मोबाइल सेट आरोपी खम्हन सिंह (अ-1) के कब्जे से जप्त किया गया। उक्त मोबाइल के कॉल विवरण के अनुसार, इस मोबाइल से फोन नंबर 99778-74188 पर कोई कॉल नहीं किया गया था, अतः यह स्थापित नहीं हुआ कि खम्हन सिंह (अ-1) ने उक्त मोबाइल के माध्यम से मृतका से बातचीत की थी।

अन्य कॉल विवरण से यह प्रदर्शित होता है कि फोन नंबर 97542-14120 से फोन नंबर 99778-74188 पर 3 कॉल किए गए थे तथा अंतिम कॉल दिनांक 22.10.2007 को किया गया था। फोन नंबर 97542-14120 वाला मोबाइल सेट दुष्यंत यादव (अ.सा.-7) के कब्जे से जप्त किया गया था। वह एक एस.टी.डी.-पी.सी.ओ. संचालित करता था। दुष्यंत यादव को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया। उसने उन कॉल्स के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिनसे अपीलार्थियों का संबंध स्थापित हो सके। यदि यह मान भी लिया जाए कि पी.सी.ओ. से मृतका के पिता के कब्जे से जप्त मोबाइल पर बातचीत हुई थी, तो मात्र इस आधार पर अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई अभियोगात्मक तथ्य सिद्ध नहीं होता। फोन नंबर 99772-10203 वाला मोबाइल सेट आरोपी हेमंत कुमार (अ-3) के कब्जे से जप्त किया गया। उसके कॉल विवरण के अनुसार दिनांक 21.10.2007 को इस मोबाइल से मृतका के पिता के कब्जे से जप्त मोबाइल पर एक कॉल किया गया था। केवल इस आधार पर कि उक्त मोबाइल से मृतका के पिता के कब्जे से जप्त मोबाइल पर बातचीत हुई थी, अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई अभियोगात्मक तथ्य स्थापित नहीं होता। इसके अतिरिक्त, यह भी किसी को ज्ञात नहीं है कि उक्त कॉल्स में क्या बातचीत हुई थी तथा वास्तव में उक्त नंबरों के माध्यम से किसने बातचीत की थी। अतः यह परिस्थिति व्याख्यायित किए जाने योग्य थी, निर्णायक नहीं थी, और प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में इसे अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोगात्मक नहीं माना जा सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. अब हम अन्य परिस्थितियों, अर्थात परिस्थितियाँ (iv) से (vii), पर विचार करेंगे।

13. मृतका का शव अपीलार्थी खम्हन सिंह (अ-1) के बयारा (बाड़ी) में पाया गया। अभियोजन ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उक्त बयारा (बाड़ी) अपीलार्थी खम्हन सिंह के पिता, छेदूराम, के कृषि कब्जे में था। बयारा (बाड़ी) का खसरा पंचसाला अभिलेख प्रस्तुत किया गया है और उसे लेख (वस्तु-अ) के रूप में अंकित किया गया है। बयारा का नक्शा (प्रदर्श पी.-4) तैयार किया गया है। पुलिस द्वारा निरीक्षण के पश्चात पंचनामा (प्रदर्श पी.-18) भी तैयार किया गया है। उपर्युक्त दस्तावेजों से प्रतीत होता है कि वह एक खुला स्थान था, जिसमें भिंडी के कई पौधे उगे हुए थे। यह भी प्रतीत होता है कि बयारा में पर्याप्त मात्रा में मिट्टी तेल फैला हुआ पाया गया। यह ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें घटना अपीलार्थियों के घर के भीतर घटित हुई हो। यदि शव ऐसे बयारा में पाया गया जो सभी के लिए सुलभ था, तो मात्र इस आधार पर अपीलार्थियों को कैसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, अन्य किसी साक्ष्य के अभाव में भूमि के स्वामी को

उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में भूमि के स्वामी अथवा कब्जाधारी को यह स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि उसके भूमि में शव कैसे पाया गया, क्योंकि संभव है कि उसे इस संबंध में कोई व्यक्तिगत जानकारी न हो। अपीलार्थियों के मकान भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित हैं। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में हम इस परिस्थिति को अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोगात्मक नहीं पाते हैं। हमारे विचार में, माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा उक्त परिस्थिति को अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोगात्मक मानना त्रुटिपूर्ण है। भले ही बयारा में पर्याप्त मात्रा में मिट्टी तेल फैला हुआ पाया गया हो तथा भिंडी के पौधों की पत्तियाँ जली हुई पाई गई हों, इससे केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बयारा में जलाने की घटना हुई थी तथा जलाने के लिए मिट्टी तेल का उपयोग किया गया था। किन्तु मृतका को जलने की चोटें कैसे लगीं, किसने उसे जलाया, अथवा क्या ये चोटें स्वयं-प्रेरित थीं इन तथ्यों को उपर्युक्त परिस्थितियों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह अभियोजन का प्रकरण भी नहीं है कि घटना की रात्रि में अपीलार्थियों को उनके बयारा में देखा गया था। ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है कि उन्हें रात्रि में बयारा के निकट देखा गया हो। अतः केवल उपर्युक्त परिस्थितियों के आधार पर उन्हें मृतका की मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. माननीय सत्र न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित व्यक्त किया है कि घटना की रात्रि में अपीलार्थीगण गाँव में उपस्थित थे। यह तथ्य किस प्रकार अभियोगात्मक है? यदि अपीलार्थी उसी गाँव के निवासी हैं तथा उनके पास गाँव में कृषि भूमि है, तो उनका गाँव में उपस्थित रहना स्वाभाविक है और इसे उनके विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता।

15. माननीय सत्र न्यायाधीश ने आश्चर्यजनक रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि चूँकि यह सिद्ध नहीं हुआ कि मृतका ने आत्महत्या की, अतः यह भी अपीलार्थियों के विरुद्ध एक अभियोगात्मक परिस्थिति है। अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन यह सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है कि यह एक मानव वध का मामला है। जब आरोपीगण हत्या के आरोप का सामना कर रहे थे, तब यह एक महत्वपूर्ण परिस्थिति थी जिसे अभियोजन द्वारा सिद्ध किया जाना आवश्यक था। अभियोजन ने उक्त परिस्थिति को सिद्ध करने हेतु डॉ. प्रमोद कुमार तिवारी (अ.सा.-13) का परीक्षण किया। डॉ. तिवारी (अ.सा.-13) ने कथन किया कि मृतका के शरीर पर सर्वत्र त्वचा की गहराई तक जलन थी; बाल पूर्णतः जल चुके थे; केवल पैरों के तलवे जले नहीं थे। आंतरिक परीक्षण में उन्होंने श्वासनली में सूक्ष्म कार्बन कण पाए। अन्य अंगों में

अवरोध पाया गया। अतः उन्होंने यह अभिमत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण 100% जलने के कारण उत्पन्न श्वासावरोध था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि वे यह निश्चित नहीं कर सके कि यह मृत्यु मानव वध थी या आत्महत्या थी, और इसी कारण उन्होंने यकृत, प्लीहा, वृक्क, फेफड़े एवं आँतों के नमूने संरक्षित किए तथा उनके आगे परीक्षण की सलाह दी। अभियोजन द्वारा, उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह सिद्ध करने हेतु कि मृत्यु मानव वध थी, कोई अन्य सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई।

16. माननीय सत्र न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह एक मानव वध का मामला है, इस आधार पर कि यह सिद्ध नहीं हुआ कि मृत्यु आत्महत्या थी। सत्र न्यायाधीश द्वारा आत्महत्या की संभावना को नकारने हेतु अस्पष्ट कारण दिए गए हैं। हत्या के मामलों में सामान्यतः यह दायित्व अभियोजन पर होता है कि वह सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध करे कि मृत्यु मानव वध थी। वर्तमान प्रकरण में, शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक यह स्थापित नहीं कर सके कि मृत्यु मानव वध थी। अतः सत्र न्यायाधीश द्वारा यह निष्कर्ष कि मृतका की मृत्यु मानव वध थी, आधारहीन है तथा इसे यथावत नहीं रखा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपर्युक्त कारणों के आधार पर, हम उपर्युक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बनाए रखने में असमर्थ हैं।

18. अतः, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थियों को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाते हैं तथा उन्हें उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

सही/-	सही/-
श्री सुनील कुमार सिन्हा	श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ANURAG AGRAWAL